उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या: 54/2025/502/छप्पन-2025-56-1/1/2025
लखनऊ: दिनांक 26 मई, 2025

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

नागरिक उड्डयन निदेशालय के अधीन एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट, लखनऊ में प्रमुख व्याख्याता के पद पर कार्यरत श्रीमती आराधना सिंह को शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-50/2023/134/छप्पन-2023-24/2017 दिनांक 03 अप्रैल, 2023 द्वारा नियत मासिक पारिश्रमिक रू0 99,110/- पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष की अवधि के लिये संविदा पर नियुक्त किया गया था। इस परिप्रेक्ष्य में श्रीमती आराधना सिंह द्वारा दिनांक 24.05.2023 के पूर्वान्ह में अपना कार्यभार ग्रहण किया था। आगामी दिनांक 23 मई, 2025 को उनकी संविदा की अवधि समाप्त हो रही है।

2- निदेशक, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ के पत्र संख्या 12/ए0टी0आई0/व्य0पत्रा0/2023 दिनांक 04 अप्रैल,2025 द्वारा प्रमुख व्याख्याता के पद पर संविदा के आधार पर कार्यरत श्रीमती आराधना सिंह की संविदा सेवा अवधि पूर्व सेवा शर्तों एवं प्रतिबन्धों के साथ वर्तमान में अनुमन्य मासिक पारिश्रमिक एवं शासनादेश दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार यथा समय अनुमन्य वार्षिक 05 प्रतिशत वृद्धि पर दिनांक 24 मई, 2025 से अग्रेत्तर 03 वर्ष अर्थात् दिनांक 23 मई, 2028 तक के लिए बढ़ाए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया हैं।

3- निदेशक, नागरिक उड्डयन के प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त श्री राज्यपाल नागरिक उड्डयन निदेशालय के अधीन एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टीटयूट, लखनऊ के अन्तर्गत प्रमुख व्याख्याता के पद पर कार्यरत श्रीमती आराधना सिंह की संविदा अवधि वर्तमान मासिक पारिश्रमिक रूपए 1,04,066 (रूपये एक लाख चार हजार छियासठ) एवं शासनादेश संख्या-1422/छप्पन-2014-17/2014 दिनांक 09 सितम्बर, 2014 के अनुसार यथासमय अनुमन्य 05 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि पर दिनांक 24 मई, 2025 से अग्रेत्तर 02 वर्ष अर्थात् दिनांक 23 मई, 2027 तक के लिए बढ़ाए जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4- श्रीमती आराधना सिंह की संविदा सेवा के सम्बन्ध में अन्य नियम व शर्तें पूर्ववत् जारी रहेंगी।

5- श्रीमती आराधना सिंह से संविदा सेवा वृद्धि के सम्बन्ध में निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध निष्पादित कर शासन को अभिलेखार्थ उपलब्ध कराया जाएगा।

ईशान प्रताप सिंह
विशेष सचिव।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या- 54/2025/502/छप्पन-2025, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-:

1. निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि श्रीमती आराधना सिंह**,** प्रमुख व्याख्याता से निर्धारित प्रपत्र पर अनुबन्ध निष्पादित करके उसकी प्रति शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. श्रीमती आराधना सिंह**,** प्रमुख व्याख्याता, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3. महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, नागरिक उड्डयन निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ एयरपोर्ट, लखनऊ।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।